कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्रकरण क. 26 /31-82/भू.अर्जन/रेलवे– जैतपुर नूराबाद/2017/ 5278 मुरैना दिनांक 7/7/2017

प्रारम्भिक अधिसूचना

{भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर–श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम जैतपुर, तहसील व उपखण्ड मुरैना, जिला–मुरैना में कुल रकवा 1.574 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला–मुरैना तहसील–मुरैना के ग्राम–जैतपुर नूराबाद प.ह.नं. 89, रा.नि. वृत–08 में उक्त परियोजना के लिये 1.574 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया प्रस्तावित किया जाता है:–

सूची

क्र. स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टयर में	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	258	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.162	सुभाष गोयल पुत्र पुरनचन्द्र हि. 1/2 रामवीर सिंह पुत्र रामजीवन हि. 1/2 नि0 ग्राम पहाड़ी भूमिस्वामी
2	277	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.278	कुअरपाल,केशव,रामचित्र,राजेन्द्र, आशाराम, वलराम पुत्रगण प्रभु मुलियाबाई वेवा प्रभू, माया,भूरी पुत्रियॉ प्रभू स0भा0 कौम बघेल नि0 ग्राम भूमिस्वामी
3	275 मिन 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	हाकिम पुत्र गोधना, रामवेटी शीला पुत्रियां गोधना स0भा0 1/2 नारायण सिंह , बाबू पुत्रगण बंशी भग्गो लाड़ो पुत्रियॉ वंशी स0भा0 4/5 प्रेमा वेवा रमेश कल्लू पुत्र रमेश स0भा01/5 दर भाग 1/2 कौम वघेल नि0 ग्राम भूमिस्वामी
4	279	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.066	राकेश, वलवीर सिंह पुत्र भीखमसिंह 1/4 नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह कलावती,वैकुण्ठी पुत्रियॉ हीरा सिंह हि0 3/4 दर हि0 रकवा 0.763 कौम गुर्जर,लक्ष्मण,रघुवर,मानसिंह पुत्रगण

					नबाव सिंह स0भा0रकवा 0.376 कौम गुर्जर नि0 ग्राम भूमिस्वामी
5	280	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.034	कमला देवी पत्नि प्रीतमसिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स0भा0 जाति गड़रिया नि0ग्राम भूमिस्वामी
6	281	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.236	कमला देवी पत्नि प्रीतमसिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स0भा0 जाति गड़रिया नि0ग्राम भूमिस्वामी
7	282	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.056	कमला देवी पत्नि प्रीतमसिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स0भा0 जाति गड़रिया नि0ग्राम भूमिस्वामी
8	285	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.199	रामहेत पुत्र रामचरण, नारायणी पुत्री रामचरन स0भा0 कौम गड़रिया नि0 ग्राम भूमिस्वामी
9	292	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.001	राकेश, बलवीरसिंह पुत्रगण भीखम सिंह हि0 1/2 नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि0 1/2 नि0ग्राम भूमिस्वामी
10	293	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.107	राकेश, बलवीरसिंह पुत्रगण भीखम सिंह हि0 1/2 नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि0 1/2 नि0ग्राम भूमिस्वामी
11	295	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.335	राकेश, बलवीर सिंह पुत्र स्व0 भीखम सिंह हि0 1/2 नारायणसिंह पुत्र हीरासिंह हि0 1/2 नि0ग्राम भूमिस्वामी

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्षा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेष करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

<u>विषेष</u> :– धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू–अर्जन की अत्यावष्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्थानः मुरैना
तारीखः 7-7-2017

(भास्कर लाक्षाकार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव (म0प्र0)
शासन, राजस्व विभाग जिला मुरैना (म0प्र0)

पृष्ठा क्र 26/31-82/भू.अर्जन/रेलवे– जैतपुर /2017/5278 मुरैना दिनांक 7/7/2017

प्रतिलिपिः–

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म0प्र0 भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
2. आयुक्त जनसम्पर्क संचलनालय,भोपाल की ओर 2 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशन हेतु।
3. कलैक्टर जिला मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग बानमौर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार परगना **बानमौर** की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटलों एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलैक्टर, जिला मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिग बेवसाई पर अपलोड हेतु।

—

(भास्कर लाक्षाकार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव (म0प्र0)
शासन, राजस्व विभाग जिला मुरैना (म0प्र0)